FORM NO. III

APP A
crim-I

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,
जिला—बून्दी (राज.)

बाबूलाल बनाम बृजमोहन आदि

117/डिवा/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/9/21	वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92A, 188 राकाअ के तहत प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. के तहत वादी श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी ने पेश किया। संक्षिप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. पर वकील वादी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.11.21 को पेश हो।	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट नोटिस जारी
10.11.21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट लुहारपुरा में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। पक्षकारान उपस्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम लुहारपुरा पटवार मण्डल लुहारपुरा तह० नैनवां की खसरा नं. 21 रकबा 0.8575 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि है। यह कि उक्त भूमि को प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 11 के पिता एवं पति देवा एवं जगन्नाथ ने जर्ये रजिस्टर्ड रिलीज डीड वादीगण के पिता नन्दा के हक में दिनांक 15/06/2005 को कर दिया था। तब से वादीगण हिस्सा 2/4 की भूमि पर काबिज रहकर खेती काश्त करते चले आ रहे हैं। यह कि वादीगण को अधिकार ... है कि उक्त भूमि में दर्ज ... के नाम की प्रविष्टि को रिलीज डीड के आधार	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:56 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हटवाकर उसके स्थान पर वादीगण को हिस्सा 2/4 का खातेदार आसामी घोषित किया जावे। पक्षकारान ने केम्प कोर्ट में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक याचना वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा राजीनामा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस उभय-पक्षकारान सुनी गई। वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। ग्राम लुहारपुरा पटवार मण्डल लुहारपुरा तह० नैनवां जिला बून्दी की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 25 पुराना 26 के खसरा संख्या 21 रकबा 0.8575 हैक्टे० भूमि पर से देवा तथा जगन्नाथ के नाम को हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को हिस्सा 2/4 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से की भूमि पर अनुचित हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न किसी अन्य से ऐसा करावे। डिक्री [illegible] जारी हो। निर्णय खुले न्याय[illegible] [illegible]ाया। पत्रावली बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:56 IST
Reason: SelfAttested